15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये — RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 610381

<u>विक्रय पत्र</u>

विक्रय पत्र अंकन : 10,49,950/ रूपये
स्टाम्प पेपर अंकन : 1,06,000/ रूपये

मैं कि मटरू पुत्र श्री तेजा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, (फरीक अव्वल, विक्रेता)

एवम

श्री रवि कुमार पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध

Tejendra ... Advocate
Ch. No. 297, Civil Court
GHAZIABAD.

कार्यालय उप निबंधक
[illegible]

स्टाम्प नं. 68 ... [illegible]
स्टाम्प नं. ... में शामिल किया गया
उप. रोकड़िया

[illegible] श्री [illegible]
[illegible]

10499501-

[illegible] 20/- [illegible] 5000/-
[illegible] 500 [illegible] 600
श्री [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 4/10/06
[illegible] 4 [illegible] 5 [illegible]

[illegible]
4/10/06

पृष्ठपत्र का सम्पादन एवं इसमें कि
जरिये नं० 10499501- [illegible]
[illegible] पाकर उक्त श्री [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 610382

<u>विकीत भूमि का विवरण</u>

स्थित ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 354 के खसरा नं0 17 रकबई 0.2630 हैक्टेयर ।

1. विकीत भूमि कृषि भूमि है तो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नही है भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संकमणीय भूमिधरी की भूमि है जिसका सरकारी सर्किल रेट 11,00,000/—रुपया प्रति हैक्टेयर लेकिन इस विकय पत्र में सर्किल रेट से अधिक रूपया 41,50,000/—रूपया प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 10,49,950/— रूपये (दस लाख उनचास हजार नौ सौ पचास रूपए मात्र) मूल्य पर सरकारी स्टाम्प अदा किया गया है

2. विकेता अनुसूचित जाति का है। विकेता ने इस आशय का श्रीमान तहसीलदार महोदय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि वह अनुसूचित जाति से/का है ।

3. यह कि विकीत भूमि ग्राम समाज पट्टे की भूमि थी जिसका विकेता (फरीक अव्वल) संकमणीय भूमिधर हो चुका है । इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद नही है ।

4. विकीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विकय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है ।

Tejendra Singh
Advocate
Ch. No. ... Civil Court
GHAZI...

[redacted]

कार्यालय उप पंजीयक

स्टाम्प नं. 19 ... रु. ...
स्टाम्प नं. 48 में शामिल किया गया
उप. रोकड़िया

... श्री रामचन्द्र
पुत्र श्री करन ... पेशा खेती
निवासी रघुनाथ लाभान
व श्री सुरेश पाल
पुत्र श्री ... पेशा खेती
निवासी ...
उप निबंधक
2/8/06

जितेन्द्र
रवि कुमार

सुरेशपाल
रामचन्द्र

... प्रतीत होते हैं ...
... लिए गये हैं
उपनिबंधक

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये — RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 610383

(3)

5. यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि का पूर्व में मौखिक इकरारनामा भी दोनों पक्षों के बीच हुआ था तथा विक्रय पत्र लिखे जाने की मौखिक सहमति हुयी थी जिसके अनुपालन में वर्तमान विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है । तत्समय विक्रेता/विक्रेतागण/फरीक अव्वल ने क्रेता से पेशगी में बजरिये सिंडीकेट बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, का चैक नम्बर 222786 दिनांकित 18.10.2005 अंकन 90,000/–रुपये (नब्बे हजार रुपए मात्र) तथा नगद 18,000/– रूपये (अठारह हजार रुपए मात्र) दिनाक 18.10.2005 को अग्रिम में प्राप्त कर लिये थे।

6. विक्रीत भूमि बाबत आज दिन तक मुझ /हम फरीक अव्वल (विक्रेता/विक्रेतागण) की ओर से हर प्रकार के बंधक भार व सरकारी देनदारी, इकरारनामा, विक्रय, वसीयत आदि दोषों से मुक्त है कही अन्य जगह आड, रहन बय, हिबे महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजि रूप से ग्रस्त नही है और न ही इस बाबत कोई मामला किसी न्यायालय/कार्यालयों में विचाराधीन है ।

दस्तावेज नं0...में शामिल किया गया
उप. रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 610384

(4)

7. मुझ/हम विक्रेता/विक्रेतागण को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं0 354 खसरा नं0 17 रकबई 0.2630 हैक्टेयर, स्थित ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर के अपने हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की कास्त एवं अन्य निजि आवश्यकताओं हेतु रूपयों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है जो स्वयं भी अनुसूचित जाति से है । अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में समस्त मालिकाना, काबिजाना, अधिकार जो कुछ भी मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशि अंकन रूपया अंकन 10,49,950 रूपये (दस लाख उनचास हजार नौ सौ पचास रूपए मात्र) जिसके आधे अंकन 5,24,975/- (पाँच लाख चौबीस हजार नौ सौ पिचहत्तर रूपए मात्र) होते है, एवज में हाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त श्री रवि पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर को बय कर दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि में से अवशेष रकम 9,41,950/- (नौ लाख इकतालीस हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र) बजरिये चैक नम्बर 011407 दिनांकित 02.08.2006 का पंजाब नैशनल बैंक दयानन्द नगर गाजियाबाद के मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर ली है और कोई धनराशि बाकी नही रहती है ।

8. विक्रीत भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है। उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि से सम्बन्ध सुखाधिकारों सहित जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालिकाना प्रयोग में लाये ।

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]
स्टाम्प सं०.21....दि०..[illegible]
स्टाम्प नं०.66.में शामिल किया गया
उप. [illegible]

15000रु भारतीय गैर न्यायिक 15000रु

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 610385

9. विकेता, विकीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण कराकर बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर केता का नाम दर्ज करवायेगा या वह स्वयं दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नही होगा और न ही है । अब विक्रय पश्चात विकीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित, व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विकेता व वारिसान विकेता का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है और न कभी रहेगा ।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
[illegible]
प्राप्त नं0 [illegible]
स्टाम्प नं0 62 में शामिल किया गया
उप. रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

15000रु. Rs.15000

भारत INDIA

0388 610386

(6)

10 विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल / विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थापनापन्न को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन्न के कब्जे से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे तथा पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशि को मय हरजे खर्च प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

11. यह कि फरीक अव्वल ने विक्रित भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज (वसीयत, मूल पट्टा व न्यायालय के अपेक्षित आदेशों की प्रमाणित प्रति आदि) तथा प्रमाणित खसरा, खतौनी, जाति, प्रमाण पत्र, तथा बारह साला जो विक्रेता के पास उपलब्ध है, उन्हे क्रेता को सौप देगा।

12. विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

रवि कुमार

कार्यालय उप निबंधक
दादरी

दस्तावेज नं. 72 ...
स्टाम्प नं. 66 में शामिल किया गया
उप निबंधक

03BB 610387

(7)

13. अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझकर, सुनकर पढ़कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(हस्ताक्ष… अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्…
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1

श्री——— पुत्र श्री———
निवासी ग्राम——— परगना———
तहसील———
जिला———

गवाह नं0 2

श्री——— पुत्र श्री———
निवासीग्राम——— परगना———
तहसील———
जिला———

तहरीर दिनांक 2.08.2006 मसौदा गाजियाबाद।

Advocate
Ch. No-297, Civil Court
GHAZIABAD. (U.P.)

[illegible] रजिस्ट्रार
[illegible]

[illegible] नं० 75 रू० 11796
बही नं० 18 में शामिल किया गया
[illegible]

आज दिनांक 2/8/06 को फोटोस्टेट
प्रति पुस्तक संख्या I जिल्द संख्या 172
के पृष्ठ 173 से 198 क्रमसंख्या 1155
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
बारी

सेवा मे,

शाखा प्रबन्धक

PNB

छपरौला

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता सं 354 खसरा नं0 11 रकबा 0.2530 स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर । मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, मै0 उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है । इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी

भटरू s/o तेजा

निवासी दुरियाई औ० क्षे० नोएडा

168

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक U.P. Sahkari Vikas Bank LTD

Dadri

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता सं 354 खसरा नं0 17 रकबा 0.2530 स्थित ग्राम डेरीखाड़ परगना दादरी तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, मै0 उप्पल चढ्ढा हाई टेक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है । इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी

आदेश S/o तेजा

निवासी डेरीखाड़ गौ0 बु0 नगर

[stamp]

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020115087 ग्राम का नाम : दुरयाई परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1411-1416 भाग : 1

11215

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौरूसी अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 2	भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार में हो।								
00354	सड़क	लोक	नि. ग्राम	पू1395फ	17	0.2530		1- उपजिलाधिकारी के आदेश दि0 17-3-97 के क्रम मे खातेदार को सं0 भू0 वाला भूमिधर घोषित किया जाता है। ह0आर0के0/लो0 6-8-04	
				कुल गाटे : 1		कुल क्षे : 0.2530	7.35		

हस्ताक्षर

(राजेश कुमार)

रजिस्ट्रार कानूनगो

दादरी, गौतम बुद्ध नगर

01/06/06

1925

जाति प्रमाण पत्र

(उ0प्र0 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के लिए)

प्रमाण पत्र संख्या
0017102011508715 92

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मटरू

पुत्र श्री तेजा निवासी गांव / नगर दुरयाई तहसील दादरी

जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 राज्य की जाटव

जाति के व्यक्ति हैं। जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 ई0 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ। संविधान (अनुसूचित जन–जाति उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री मटरू तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के गांव / नगर दुरयाई तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में सामान्यतया रहता है।

यह प्रमाण–पत्र राजस्व निरीक्षक, बिसरख की तसदीक पर जारी किया गया है।

स्थान दादरी

दिनांक 07-04-2006

कार्यालय की मुहर सहित

तहसीलदार
दादरी

[illegible] खसरा [illegible] ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर बाबत साल 140 - १४१२ फ०

खसरा संख्या (गाटा का नम्बर)	खतौनी खाता की संख्या	खतौनी खाते के वर्गीकरण (भाग 1) के अनुसार काश्तकार का नाम	खतौनी के (भाग 2) के वर्गीकरण के अनुसार शिकमीदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई का साधन	कृषि (फसलों वाली भूमि) का क्षेत्रफल: खरीफ — फसल का नाम	खरीफ — सींचा हुआ	खरीफ — असींचा	रबी — फसल का नाम	रबी — सींचा हुआ	रबी — असींचा	जायद — फसल का नाम	जायद — सींचा हुआ	जायद — असींचा	सींचा हुआ	असींचा	निजी खसरे के रकबे के अनुसार अकृषिक भूमि का ब्यौरा: भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत के चारों ओर खड़े हुए वृक्षों की संख्या और किस्म
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
०-२४१३	२५०	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—

सदर अभिलेख [illegible]

Anil Kumar
6/4/06

अनिल कुमार
(लेखपाल)
क्षेत्र-[illegible]
तहसील-दादरी

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020115087 ग्राम का नाम : दुरयाई परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1411-1416 भाग : 1

04/02 11/6/07

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौरूसिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संख्या उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 2	भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00354	पटरू	तेजा	नि. ग्राम	पू1395फ	17	0.2530		✓1- उपजिलाधिकारी के आदेश दि017-3-97 के क्रम मे खातेदार को सं0 भू0 करना भूमिधर घोषित किया जाता है। ह0अ0रा0के0/लो0 6-8-04 आदेशानुसार श्रीमान उ.न्यायिक मि.न.948/11-9-06 को आदेश हुक्म कि खा.सं. 354 के ख.न. 17/0 2530 है. से विक्रेता पटरू पुत्र तेजा नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता रवि कुमार पुत्र तारा नि.ग्राम का नाम बजरिए बैनामा दर्ज हो। ह.र.ए.का. 28-5-2007	
				कुल गाटे : 1	कुल क्षे :	0.2530	7.35		

हस्ताक्षर

08-06-07